



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 वैशाख 1942 (श०)
(सं० पटना 293) पटना, मंगलवार, 12 मई 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

4 दिसम्बर 2019

सं० 1818— औरंगाबाद जिलान्तर्गत ग्राम+पो0— ओबरा स्थित माँ देवी मंदिर, पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०— 4409/2015 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु स्थानीय ग्रामीणों द्वारा एक समिति का गठन करने की मांग की जा रही थी, जिसके सचिव श्री सुशील कुमार का नाम प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित नामों के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, दाउदनगर, से भी अनुशंसा प्राप्त हुआ है। इसी बीच अनिल कुमार, अमित कुमार वगैरह द्वारा कार्यरत न्यास समिति पर आरोप लगाते हुए नवीन समिति के गठन की मांग की गयी। उक्त आरोप पत्र के आलोक में दोनों पक्षों को पर्षद में उपस्थित होकर अपना-अपना तथ्य रखने हेतु पत्र दिया गया। कार्यरत न्यास समिति में प्रतिदिन की आय-व्यय का ब्यौरा, बैंक खाते में जमा राशि के संबंध में पासबुक तथा न्यास में किये गये विकासात्मक कार्यों का उल्लेख करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसे दूसरे पक्ष द्वारा विकासात्मक कार्यों को आंशिक रूप से स्वीकार्य किये परंतु एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप से स्पष्ट है कि दोनों पक्ष के व्यक्ति एक ही गांव के निवासी हैं और सभी का उद्देश्य देवी मंदिर का विकास करना एवं आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा मंदिर में राग-भोग की व्यवस्था शांतिपूर्ण ढंग से चलती रहे।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, दाउदनगर द्वारा प्रस्तावित नाम एवं श्री अमित कुमार नाग द्वारा दाखिल दि०— 16/10/2019 की आम सभा द्वारा प्रस्तावित नामों पर विचार करते हुए दोनों पक्षों की सहमति से निम्नलिखित व्यक्तियों की **अस्थायी रूप से न्यास समिति का गठन का अगले आदेश** तक किया जाता है। थाना से चरित्र-सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात न्यास समिति को स्थायी किये जाने के बिन्दु पर विचार किया जायेगा।

गठित न्यास समिति के सभी सदस्य अपनी वैमनस्यता/द्वेष को छोड़कर आपस में सहयोग करेंगे, जिससे मंदिर का विकास एवं समुचित प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

उपरोक्त परिस्थिति बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा— 32 के तहत प्रस्तावित 11 सदस्यों की न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया जाता है।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा— 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो **बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०— 43 (द) के तहत “अध्यक्ष” को प्राप्त है**, का प्रयोग करते हुए **“माँ देवी मंदिर, ग्राम+पो0+था0— ओबरा, जिला— औरंगाबाद”** के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “माँ देवी मंदिर न्यास योजना, ग्राम+पो0+था0- ओबरा जिला- औरंगाबाद” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “माँ देवी मंदिर न्यास समिति, ग्राम+पो0+था0- ओबरा, जिला- औरंगाबाद” जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि “यदि कोई हो तो”, उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायें या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

1.	अनुमंडल पदाधिकारी, दाउदनगर, जिला- औरंगाबाद	—	पदेन अध्यक्ष
2.	श्री कृष्ण प्र0 सिंह पिता- स्व0 नाथुन महतो	—	उपाध्यक्ष
3.	श्री सुशील कुमार पिता- श्री गोपाल प्रसाद	—	सचिव
4.	श्री अनिल मालाकार पिता- गिरजा भगत	—	उप सचिव
5.	श्री स्नेह रंजन पिता- मोहन प्रसाद गुप्ता	—	कोषाध्यक्ष
6.	श्री शिव नारायण प्रसाद पिता- महावीर साव	—	सदस्य
7.	श्री मोती लाल प्रसाद पिता- स्व0 रामचन्द्र प्रसाद सोनी	—	सदस्य
8.	श्री श्री अरविन्द कुमार सिंह पिता- श्री रामाधार सिंह	—	सदस्य
9.	श्री अमित कुमार पिता- श्री अशोक कुमार नाग	—	सदस्य
10.	श्री शंकर प्रसाद नाग पिता- स्व0 दीप नारायण नाग	—	सदस्य
11.	श्रीमति विगनी देवी पति- नन्दु प्रसाद सोनी	—	सदस्य
	पता- ग्राम+पो0+था0- ओबरा, जिला- औरंगाबाद।		

उपरोक्त न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से अगले आदेश तक के लिए किया जाता है। थाना से चरित्र-सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात न्यास समिति को स्थायी किये जाने के बिन्दु पर विचार किया जायेगा।

नोट:- न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 293-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>